न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— श्री बदरी नारायण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 04/25 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रूपनारायण
2. हरिनारायण

पि0 मथुरालाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी बीछा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

—(अप्रार्थी

उपस्थितिः— 1. श्री अरूण कुमार गौड अधिवक्ता—(प्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थर गढी
(अं0 धारा 128 एल आर एक्ट)

निर्णय दिनांकः—12.06.2025

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्राथीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख0नं0 279 है0 रकबा 1.6314 है0, ख0न0 284 रकबा 0.0253 है0, ख0न0 285 रकबा 1.8464 हैक्ट0 भूमि वाकै ग्राम बीछा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीयाराजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीयाकी भूमि पर पडौसी खातेदारो से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थीयाअपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीयाकी भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजि0 एडी नोटिस जारी कर तलबी की गई। बाद तामिल उपस्थित नही। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट होने से तहसीलदार से वस्तुस्थिती की जॉच रिर्पोट हेतु तहरीर जारी कर रिपोर्ट दिनांक 27.05.2025 पत्र क्रमांक/एल0आर0/2024/955 तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट ख0नं0 279 है0 रकबा 1.6314 है0, ख0न0 284 रकबा 0.0253 है0, ख0न0 285 रकबा 1.8464 हैक्ट0 भूमि वाकै ग्राम बीछा तहसील रामगढ पचवारा भूमि प्रार्थीयाके नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थीयाकी बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम वस्तुस्थिती रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थीयाख0नं0 279 है0 रकबा 1.6314 है0, ख0न0 284 रकबा 0.0253 है0, ख0न0 285 रकबा 1.8464 हैक्ट0 भूमि वाकै ग्राम बीछा तहसील रामगढ पचवारा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थीयाका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थीयाका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीयाकी खातेदारी भूमि ख0नं0 279 है0 रकबा 1.6314 है0, ख0न0 284 रकबा 0.0253 है0, ख0न0 285 रकबा 1.8464 हैक्ट0 भूमि वाकै ग्राम बीछा तहसील रामगढ पचवारा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीयासे नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीयाके खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

बदरी नारायण मीना
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व उच्चारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

Scanned with OKEN Scanner